



2026:AHC:166023

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 26082 वर्ष 2026

जमुना

प्रसाद

बिंद

.....आवेदक(गण)

बनाम

यूपी

राज्य

.....विपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता

: कृष्ण कुमार मिश्र, विकेश कुमार तिवारी

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता

: विजय कुमार श्रीवास्तव, देवेन्द्र कुमार बिंद,

शासकीय अधिवक्ता,

जैनब परवीन

न्यायालय संख्या- 65

माननीय न्यायमूर्ति समीर जैन

1. आवेदक द्वारा दायर पूरक हलफनामे को अभिलेख में ले लिया गया है।
2. हालांकि, जमानत आवेदन के साथ जमानत अस्वीकृति आदेश की निःशुल्क सत्य प्रतिलिपि संलग्न नहीं की गई है, लेकिन आवेदक द्वारा पूरक हलफनामे में इस संबंध में बताए गए कारण स्वीकार्य प्रतीत होते हैं, इसलिए जमानत आवेदन पर सुनवाई की जा रही है।
3. आवेदक के अधिवक्ता श्री विकेश कुमार तिवारी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री जितेंद्र सिंह, सूचनाकर्ताकर्ता के अधिवक्ता श्री बिजय कुमार श्रीवास्तव और राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री विजय बहादुर मौर्य की दलीलें सुनी गईं।
4. यह जमानत आवेदन मुकदमा अपराध संख्या 231 सन् 2025, धारा 103(1), 191(3), 238(खा) बीएनएस, पुलिस स्टेशन कौधियारा, जिला प्रयागराज में मुकदमे की लंबितता के दौरान आवेदक को जमानत पर रिहा करने की मांग करते हुए दायर की गई है।
5. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि आवेदक मृतक का ससुर है और अभियोजन पक्ष के अनुसार आवेदक ने अन्य लोगों के साथ मिलकर अपने दामाद की हत्या करने के बाद उसके शव को खेत में फेंक दिया था, लेकिन आवेदक के खिलाफ लगाए गए सभी आरोप पूरी तरह से झूठे हैं।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



6. उन्होंने आगे कहा कि अभियोजन पक्ष के अनुसार, मृतक घटना वाले दिन आवेदक के घर में रुका था, लेकिन यह आरोप पूरी तरह से झूठा है। उन्होंने आगे कहा कि मृतक 29.10.2025 को आवेदक के घर आया था, लेकिन रात में वापस चला गया और बाद में उसका शव मिला।

7. हालांकि, उन्होंने आगे कहा कि जब आवेदक की बेटी का बयान दर्ज किया गया, तो उसने बताया कि आवेदक ने अपने दामाद के साथ शराब का सेवन किया और उसके बाद दोनों में झगड़ा शुरू हो गया और आवेदक ने उसे पीटा, लेकिन उसके बयान से यह नहीं पता चलता कि आवेदक का मृतक की हत्या करने का कोई इरादा था। इससे यह पता चलता है कि नशे की हालत में आवेदक और मृतक के बीच विवाद हुआ और झगड़े के बाद मृतक वहां से चला गया और बाद में उसका शव मिला।

8. वह आगे यह भी प्रस्तुत करता है कि मृतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चलता है कि उसे पांच चोटें आई थीं, लेकिन उसके सिर पर केवल एक ही चोट थी जो घातक थी, इसलिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट से भी यह संकेत नहीं मिलता कि आवेदक का मृतक की हत्या करने का कोई इरादा था।

9. उन्होंने आगे कहा कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और वर्तमान मामले में वह 09.01.2026 से यानी पिछले छह महीने से अधिक समय से जेल में है।

10. इसके विपरीत, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता और मुखबिर के विद्वान अधिवक्ता ने जमानत की अर्जी का विरोध किया और कहा कि आवेदक मृतक का ससुर है और इस बात के पर्याप्त सबूत हैं कि घटना वाले दिन मृतक आवेदक के साथ उसके घर में था और उसके बाद आवेदक ने उसे पीटा और बाद में उसका शव खेत में मिला, लेकिन वे इस तथ्य से इनकार नहीं कर सके कि आवेदक की बेटी के बयान के अनुसार भी घटना के समय आवेदक और मृतक दोनों मत्तता की हालत में थे।

11. वे इस तथ्य से भी इनकार नहीं कर सके कि आवेदक की बेटी के बयान से यह स्पष्ट नहीं होता कि झगड़े के समय मृतक की मृत्यु हुई और उसके बाद आवेदक ने उसके शव को छिपाने का प्रयास किया। उन्होंने यह स्वीकार किया कि इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि झगड़े के बाद मृतक आवेदक के घर से चला गया और बाद में उसका शव खेत में मिला।

12. वे इस तथ्य का खंडन भी नहीं कर सके कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चलता है कि मृतक को पाँच चोटें आई थीं, लेकिन उसकी मृत्यु चौथी चोट के कारण हुई, जो सिर के पिछले हिस्से में लगी थी। वे इस तथ्य का भी खंडन नहीं कर सके कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और इस मामले में वह 9 जनवरी 2026 से यानी पिछले छह महीनों से अधिक समय से जेल में है।

13. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं की बात सुनी है और मामले के अभिलेख का अध्ययन किया है।

14. आवेदक मृतक का ससुर है और आरोप के अनुसार, उसने अपने दामाद की हत्या तब की जब वह उसके घर में था। अभिलेख से यह भी पता चलता है कि जब आवेदक की बेटी का बयान दर्ज किया गया, तो उसने कहा कि आवेदक और मृतक नशे में थे और उसके बाद दोनों के बीच झगड़ा हुआ, जिसमें आवेदक ने उसे अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



पीटा और पटका भी, लेकिन वह यह नहीं बता सकी कि उसके बाद आवेदक मृतक को अपने साथ ले गया था या मृतक उसके घर में रुका था। गवाह कोमल और अन्य गवाहों के बयानों से पता चलता है कि झगड़े की घटना के बाद मृतक आवेदक के घर से चला गया था और बाद में उसका शव खेत में मिला था।

15. इसके अलावा, आवेदक की बेटी के बयान से यह स्पष्ट होता है कि आवेदक और मृतक के बीच झगड़ा हुआ था और आवेदक ने मृतक को पीटा भी था, लेकिन बयान से यह स्पष्ट नहीं होता कि आवेदक का मृतक की हत्या करने का कोई इरादा था। यहां तक कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से भी प्रथम दृष्टया यह स्पष्ट नहीं होता कि आवेदक का मृतक को चोट पहुँचाकर उसकी हत्या करने का कोई इरादा था। इसके अलावा, इससे यह भी स्पष्ट होता है कि घटना के समय आवेदक और मृतक दोनों मत्तता की हालत में थे।

16. इसके अलावा, आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और वर्तमान मामले में वह 09.01.2026 से यानी पिछले छह महीने से अधिक समय से जेल में है।

17. अतः, ऊपर बताए गए मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, मेरी राय में, आवेदक जमानत पर रिहा होने का हकदार है।

18. तदनुसार, मामले की खूबियों पर कोई राय व्यक्त किए बिना, तत्काल जमानत आवेदन **स्वीकार** किया जाता है।

19. आवेदक जमुना प्रसाद बिंद को उपरोक्त मामले में संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप समान राशि के व्यक्तिगत बंधपत्र और दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए:-

(i) आवेदक निर्धारित तिथियों पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा, जब तक कि उसकी व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट न दी गई हो।

(ii) आवेदक मामले की जानकारी रखने वाले किसी भी व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ऐसा कोई लालच प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं देगा जिससे वह व्यक्ति न्यायालय या किसी या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष उन तथ्यों को बताने से पीछे हट जाए, या सबूतों के साथ छेड़छाड़ करें।

(iii) आवेदक किसी भी आपराधिक एवं असामाजिक गतिविधि में लिप्त नहीं होगा।

20. उपरोक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, अभियोजन पक्ष आवेदक की जमानत रद्द करने के लिए इस न्यायालय के समक्ष आवेदन करने के लिए स्वतंत्र होगा।

21. यह स्पष्ट किया जाता है कि यहां की गई टिप्पणियां जमानत आवेदन के निपटान से संबंधित पक्षों द्वारा प्रस्तुत तथ्यों तक ही सीमित हैं और उक्त टिप्पणियों का मुकदमे के दौरान मामले की खूबियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

7 अगस्त, 2026

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



एके पांडे

(समीर जैन, न्यायमूर्ति)

Translated Judgment. Not for Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।